न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 51/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

गोपाल लाल पुत्र भैरू राम जाति जाट निवासी चिमनपुरा, भारीजा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 14.07. 2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 711 ता 713 किता 3 कुल रकबा 2.3900 है0, ग्राम चिमनपुरा, भारीजा पटवार हल्का भारीजा भू.अभि.नि. क्षैत्र मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है, उक्त खातेदारी वादी के नाम गोपीराम पुत्र भैराराम के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड में वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम की जगह गोपीराम पुत्र भैराराम दर्ज हो गया है जो गलत है, गोपीराम पुत्र भैराराम की जगह वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से गोपाल लाल पुत्र भैरू राम के स्थान पर गोपीराम पुत्र भैराराम दर्ज हुआ है जो गलत है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी का सही व वास्तविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम है तथा गोपाल लाल पुत्र भैरू राम व गोपीराम पुत्र भैराराम एक ही व्यक्ति है जो संशोधन किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 711 ता 713 किता 3 कुल रकबा 2.3900 है0, ग्राम चिमनपुरा, भारीजा पटवार हल्का भारीजा भू.अभि.नि. क्षैत्र मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोपीराम पुत्र भैराराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार देवाराम पुत्र टोडाराम ने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम गोपाल पुत्र भैरूराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गंई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोपीराम पुत्र भैराराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार द्वारा पेश साक्ष्य वादी के समर्थन में शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के शपथ पत्र एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 711 ता 713 किता 3 कुल रकबा 2.3900 है0, ग्राम चिमनपुरा, भारीजा पटवार हल्का भारीजा भू.अभि.नि. क्षैत्र मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोपीराम पुत्र भैराराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरू राम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

गोपाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 51 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री आनन्द राड़ मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर नम्बर 711 ता 713 किता 3 कुल रकबा 2.3900 है0, ग्राम चिमनपुरा, भारीजा पटवार हल्का भारीजा भूअभि.नि. क्षैत्र मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम गोपीराम पुत्र भैराराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर गोपाल लाल पुत्र भैरू राम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2021 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीज़ान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़